राजकीय इंजीनियरिंग कालेज बाँदा

(पूर्ववर्ती डा० भीमराव अम्बेडकर इंजीनियरिंग कालेज आफ इन्फारमेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, बांदा)

Rajkiya Engineering College Banda

Atarra, Banda – 210201

E-Mail : director@recbanda.ac.in URL www.recbanda.ac.in

Tel: +91 5191 254301 Mob:+91-8765059509

पत्रांकः आर0इ0सी0 / डी0एस0डब्ल्यू / 2023– 405 दिनांकः 11 अक्टूबर,2023

—:सूचना:—

संस्थान में अध्ययनरत प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण द्वारा प्रदत्त उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति 2023–24 योजना के अन्तर्गत आने वाले पात्र विद्यार्थी उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट www.scholarship.up.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

छात्रवृत्ति शासन के निर्देशों के अधीन है अतः पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति आवेदन के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति पोर्टल पर दिये गये समस्त निर्देशों से भलिभॉति अवगत होते हुये ही छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें, जिससे कि छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु किसी प्रकार की विसंगति न हों।

तदक्रम में उक्त योजनान्तिर्गत संस्थान में अध्ययनरत समस्त नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के पात्र विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि शीघ्रातिशीघ्र उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अपना त्रुटि रहित आवेदन कर आवेदन फॉर्म की समस्त प्रपत्रों सहित 02 हार्ड कॉपी अधिष्ठाता छात्र–कल्याण कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय स्तर से प्राप्त आवेदनो को विनिर्दिष्ट समय से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।

नोटः– समस्त पात्र विद्यार्थी संस्थान में रजिस्ट्रेशन की प्रकिया पूर्ण करने के उपरान्त ही छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें।

संलग्नक–

1. उ0प्र0 दशमोत्तर छात्रवृत्ति 2023–24 में पात्र विद्यार्थियों हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।
2. विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्तिआवेदन फॉर्म के साथ लगाये जाने वाले आवश्यक प्रपत्र।

11/10/2023

(आशीष त्रिपाठी)
अधिष्ठाता छात्र–कल्याण

प्रतिलिपि–

1. अधिष्ठाता शैक्षणिक।
2. कुलसचिव।
3. समस्त विभागाध्यक्ष– इस आशय से प्रेषित कि सभी विद्यार्थियों को सूचित करने की कृपा करें।
4. प्रभारी, ई0आर0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
5. समस्त सूचना पट्ट।

(आशीष त्रिपाठी)
अधिष्ठाता छात्र–कल्याण

उ0प्र0 दशमोत्तर छात्रवृत्ति 2023–24 में पात्र विद्यार्थियों हेतु आवश्यक दिशा–निर्देशः–

1. उ0प्र0 छात्रवृत्ति 2023–24 के अन्तर्गत पात्र छात्र छात्रवृत्ति वेबसाइट www.scholarship.up.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते है।
2. छात्रवृत्ति आवेदन के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति पोर्टल पर दिये गये निर्देशों से भलिभॉति अवगत होते हुए ही छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें।
3. विद्यार्थी का बैंक खाता आधार नम्बर से लिंक होना आवश्यक है। अतः सभी विद्यार्थी अपना बैंक खाता आधार नम्बर से लिंक करा लें।
4. बैंक खाते को बैक द्वारा नेशनल पेमेंट करर्पोरेशन ऑफ इण्डिया (NPCI) में मैपिंग भी करा ले, जिससे छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान के समय ट्रांजेक्शन फेल होने की संभावना कम रहे।
5. विद्यार्थी फॉर्म भरते समय किसी भी बैंक व किसी भी जनपद का बैंक अकाउण्ट(जन धन खाता छोडकर) भर सकता हैं।
6. नव प्रवेशित (प्रथम वर्ष एवं लैटरल इन्ट्री द्वितीय वर्ष) के विद्यार्थियों (Fee Waver विद्यार्थी को छोडकर) की वार्षिक नान रिफण्डेबल शुल्क रू0 57165.00 है तथा अन्य द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों की वार्षिक नान रिफण्डेबल शुल्क रू0 56165.00 है।
7. छात्रवृत्ति आवेदन में पिता,माता अथवा अभिभावक के नाम का ही आय प्रमाण प्रमाण पत्र मान्य किया जायेगा।
8. छात्रवृत्ति आवेदन के समय जीरो (0) एवं ओ (o) भरते समय विशेष ध्यान दें।
9. छात्रवृत्ति आवेदन के समय विद्यार्थी स्वयं के आवश्यक दस्तावेज (बैंक डिटेल, विश्वविद्यालय/बोर्ड पंजीयन कमांक, आय, जाति, निवास, आधार नम्बर, शुल्क विवरण आदि) के नम्बर सावधानी पूर्वक भरें।
10. विद्यार्थी द्वारा हॉस्टल फीस जमा करने की स्थिति में ही आवेदन फार्म में आवासीय (हास्टलर) का उल्लेख किया जायेगा।
11. विद्यार्थी द्वारा किये गये आवेदन को सबमिट करने के उपरान्त संस्थान स्तर से किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नही है। अतः छात्रवृत्ति आवेदन में विद्यार्थी द्वारा भरी गयी समस्त प्रविष्टियों हेतु विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
12. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति शासन के नियम/निर्णय के अधीन है। जिसमे कॉलेज स्तर से कोई भी आश्वासन नही दिया जा सकता।

विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म के साथ लगाये जाने वाले आवश्यक प्रपत्र (स्व प्रमाणित फोटोकॉपी)

1. स्कॉलरशिप फॉर्म प्रिन्ट
2. एलॉटमेंट लेटर
3. प्रवेश परीक्षा परिणाम की छायाप्रति
4. वर्तमान शैक्षिक रजिस्ट्रेशन
5. आय प्रमाण पत्र (पिता,माता अथवा अभिभावक का)
6. आय प्रमाण पत्र (पिता,माता अथवा अभिभावक का) नेट वेरिफिकेशन
7. जाति प्रमाण पत्र
8. जाति प्रमाण पत्रनेट वेरिफिकेशन
9. निवास प्रमाण पत्र
10. निवास प्रमाण पत्रनेट वेरिफिकेशन
11. शुल्क रसीद
12. बैंक पासबुक
13. आधार कार्ड
14. हाईस्कूल मार्कशीट
15. हाईस्कूल मार्कशीटनेट वेरिफिकेशन
16. इण्टर मिडिएट मार्कशीट/डिप्लोमा
17. इण्टर मिडिएट मार्कशीटनेट वेरिफिकेशन
18. गत वर्ष की मार्कशीट
19. गैप का शपथ पत्र 10रू0 के स्टाम्प पेपर में (यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो)
20. शपथ पत्र 10रू0 के स्टाम्प पेपर में (नीचे दिये गये प्रारूप में)।

छात्र/छात्रा द्वारा देय शपथपत्र (रू0 10/– के स्टाम्प पर)

समक्ष

संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मै.................................पुत्र/पुत्री श्री......................................जो ग्राम ....मुहल्ला..................जनपद............ का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता/करती हूँ।

1. यह कि मै ग्राम...................मुहल्ला..............................जनपद................... उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मै उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट .... (जाति) का/की हूँ।
3. यह कि मेरे माता, पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्त्रोतों की वार्षिक आय .... या इससे कम है।
   (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र/अभिभावक के नियोक्ता द्वारा आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है।)
4. यह कि सम्प्रति मै राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बांदा शैक्षिक संस्थान के बी0टेक पाठ्यक्रम में ....वर्ष में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था ए0के0टी0यू0, लखनऊ विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैने उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा/दूंगी।
6. यह कि मैने पिछली परीक्षा ....वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के सम्बन्ध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है। परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नही मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या...................................बैंक ....की ....शाखा में खुला है।
9. यह कि मेरा बैंक खाता जन धन खाते से सम्बन्धित नही है।
10. यह कि मेरे द्वारा बैंक खाते को आधार नम्बर से लिंक करा लिया गया है।
11. उक्त शपथ पत्र में 01 से 10 तक की वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है। ईश्वर हमारी मदद करें।

दिनांक:

शपथी के हस्ताक्षर....................................
नाम...
पिता/अभिभावक का नाम..................................
रोल नं0..
शाखा एवं वर्ष..
मो0नं0..
पता...

पिता/माता/अभिभावक द्वारा देय शपथपत्र (रू0 10/– के स्टाम्प पर)

मै .... पुत्र/पुत्री श्री/कु0 ....आयु..............वर्ष............निवासी.......................
बयान करता/करती हूँ।

1. यह कि मै शपथी उपरोक्त दिये हुये पते का/की निवासी हूँ।
2. यह कि शपथी ....जाति...............उपजाति का/की हूँ जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सूची के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडी जाति/सामान्य जाति में आती है।
3. यह कि आवेदक श्री/कु0 ....मेरा/मेरी ....है। मै शपथी इसका संरक्षण हूँ तथा वर्तमान में इसका पालन पोषण व पढाई लिखाई इत्यादि का समस्त व्यय वहन करने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।
4. यह कि आवेदक श्री/कु0 ....शैक्षणिक सत्र ....में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बांदा में बी0टेक0 के ....वर्ष का/की विद्यार्थी हूँ। जिसे किसी अन्य स्त्रोत से भी कोई भी छात्रवृत्ति/फीस प्रतिपूर्ति प्राप्त नही हो रही है।
5. यह कि मै शपथी का व्यवसाय..........................है तथा शपथी की वर्तमान वार्षिक आय रू0............... (शब्दों में)..है।
6. शपथी द्वारा (सक्षम अधिकारी द्वारा) प्रदत्त आय प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से सत्य है।
7. यह कि शपथी की वार्षिक आय रू0.................. से कम से कम होने के कारण अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर समाज कल्याण अधिकारी उ0प्र0 अर्हत धारण करता है। उक्त छात्रवृत्ति/फीस प्रतिपूर्ति की राशि आवेदक की पढाई पर व्यय की जायेगी।
8. यह कि शपथी एवं श्री/कु0 ....समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा भी छात्रवृत्ति/फीस प्रतिपूर्ति निर्दिष्ट समस्त नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेगा तथा किसी भी स्तर पर एवं किसी भी समय किसी भी नियम का उल्लंघन की दशा में शपथी स्वयं ही उत्तरदायी होगा एवं छात्रवृत्ति/फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि दंड नियमानुसार तत्काल वापस करने हेतु वचनबद्ध है।

स्थलः **दिनांकः** **षपथी का हस्ताक्षर**

सत्यापन

मैं शपथी..............................घोषणा करता/करती हू कि मेरे द्वारा उपरोक्त शपथ पत्र में कम संख्या 01 से 07 में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है तथा मेरे द्वारा संदर्भित कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है।

आज दिनांकः ....को आपने हस्ताक्षर कर सत्यापित किया।

छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1–छात्र क्या करें:–

- छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र, जाति/आय निवास प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन कमांक (प्रथम वर्ष को छोड़कर), आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अभिलेख होना आवश्यक।
- हाई–स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक ।
- आधार नम्बर का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) (आधार नम्बर, नाम एवं जन्म तिथि का मिलान) तथा आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ0टी0पी0 को अंकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को आनलाइन टेम्पेरेरी लाक कर सकेगा।
- आधार नम्बर से लिंक बैंक खाता एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग अनिवार्य है। इस कार्य को सम्बन्धित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा की स्थिति में ट्रांजेक्शन फेल होने की सम्भावना रहेगी। वित्तीय वर्ष 2022–23 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नम्बर से जुड़े बैंक खाते में ही होगा।
- अपना आधार लिंक बचत बैंक खाता (बैंक खाते में लिंकिंग एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग के साथ) संचालित रखें, न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो तथा हर 03 माह में बैंक खाते में ट्रांजेक्शन अवश्य करें।
- आधार लिंक बचत बैंक खाते को भलीभांति जांच लें। बिना आधार सीडेड खाता संख्या (बैंक खाते में लिंकिंग एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग के साथ) भरने पर पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्र का आवेदन रिजेक्ट हो जायेगा। नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें जिनका आधार एवं ओटीपी प्रमाणीकरण एक बार हो चुका है, उसे पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- छात्र अपना आवेदन आनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्परेरी लाक करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा– हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण–पत्र का कमांक एवं आवेदन का कमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, आय प्रमाण–पत्र में अंकित आय, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि का किया गया अंकन सावधानीपूर्वक जांच लें।
- सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन सबिमट करें।
- आवेदन पत्र सबिमट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगे, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय/निवास प्रमाण–पत्र कमांक एवं आवेदन कमांक, आय तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त (हाईस्कूल रोल नम्बर को छोड़कर) ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबिमट (Submit) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य लें।
- अनिवार्य वार्षिक शुल्क (Non Refundable fees) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें।
- छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक तथा वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन कमांक भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के पूर्णांक/प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।
- सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (AIDED) संस्थानों में पाठ्यकम, पाठ्यकम के प्रकार (नियमित (Regular)/स्ववित्त पोषित (SELF FINANCE) व उसके वर्ष का अंकन सही–सही ध्यानपूर्वक करें।

छात्र/छात्रायें स्वंय का ई0–मेल आई0डी0 व आधार नम्बर से लिंक स्वयं का मोबाइल नम्बर ही दें।

- वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय–सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु https://scholarship.up.gov.in पर समय–समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली–भांति पालन करें एवं समय–सारिणी में दी गयी समयावधि का उल्लंघन कदापि न करें।
- नवीनीकरण के छात्र अपने आवेदन पत्र में पास(Pass)/प्रोन्नत (Promoted with marks) के साथ अपने सही प्राप्तांक ही भरें। परीक्षा परिणाम न निकलने की दशा में रिजल्ट नाट यट डिक्लेयर्ड (Result Not yet Declared) के आप्शन के साथ आवेदन कर सकते है, लेकिन संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि में परीक्षा परिणाम न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पत्र में परीक्षा परिणाम भरकर संस्थान से पुनः अग्रसारित न कराने की दशा में छात्र का डाटा रिजेक्ट माना जाएगा।
- छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लागिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने/रिजेक्ट होने पर छात्र के मोबाइल पर एस0एम0एस0 भी जायेगा। संस्थान द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अग्रसारित होना आवश्यक है।

2–छात्र क्या न करें।

- शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा– आधार नम्बर,हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड एवं अन्य कोई भी डाटा अथवा अभिलेख किसी से भी साझा (Share) न करें।
- आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें।
- अनुत्तीर्ण (Fail) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें।
- शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा। समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि में संशोधन करने के उपरान्त भी संस्थान में जमा करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिन्ट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा।
- छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं होगी। यदि छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र/छात्रा का आधार नम्बर, हाई–स्कूल रोल नम्बर, बैंक खाता, आय एवं जाति प्रमाण–पत्र तथा कोई अन्य अभिलेख प्रयोग किया हुआ पाया जाता है तो छात्र एवं संस्था के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि छात्र का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो सन्देह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से आनलाइन देना होगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयावधि में आनलाइन उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा दिये गये उत्तर/अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होने पर जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुये डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत (REJECT) कर दिया जायेगा।

निदेशक
समाज कल्याण

(पी० के० त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक मु०

(सिद्धार्थ ...)
सहायक निदेशक (...)
मुख्यालय